न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नौगांव, जिला छतरपुर, (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी : मानवेन्द्र सिंह यादव)

व्यवहार वाद क्रमांक 82/2022
फाईलिंग नंबर—342/2022
सीएनआर नंबर—MP1607-001658-2022
संस्थित दिनांक 13-10-2022

फिरोज मुहम्मद तनय लाल मुहम्मद उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर—9 बाजार मुहल्ला मउसहानियां थाना व तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

.... **वादी**

— वि रू द्ध —

श्रीमति सबाना बानो पत्नि फिरोज मुहम्मद पुत्री नबी मुहम्मद उर्फ मुन्ना, बर्फ फैक्ट्री वाले उम्र 30 वर्ष, निवासी— करही रोड, पवई जिला पन्ना म0प्र0

.... **प्रतिवादी**

वादी द्वारा :—	श्री हेमन्त पाठक अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वाराः—	श्री गुलाम मोहम्मद अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

(आज दिनांक **30.09.2023** को घोषित)

1. वादी ने यह दावा प्रतिवादिया के विरूद्ध वैवाहिक संविदा(निकाहनामा दिनांक 11.12.2009) के पालन कराने बावत् प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादी का विवाह लगभग 13 वर्ष पूर्व ग्राम मउसहानिया में संपन्न हुआ था। जिसमें निकाहनामा लेख कराया गया था और निकाहनामा के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी ने विवाह की स्वीकृति दी थी। उक्त दोनों पक्षकार विवाह की संविदा के आधार पर पति—पत्नि के रूप में ग्राम मऊसहानिया में निवास करने लगे थे दोनों ही पक्षकार के संसर्ग से साहिद, आरिस एवं राशिद का जन्म हुआ था, तीनों बच्चे नाबालिग है और वादी के साथ निवास कर रहे है।

3. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रतिवादिया प्रतिवादी साक्ष्य पर उपस्थित न होने से प्रतिवादिया का साक्ष्य का अवसर समाप्त घोषित किया गया है।

4. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रतिवादिया को कभी परेशान नहीं किया गया एवं विवाह के समय भी किसी भी सामान व सम्पत्ति की मांग नहीं की तथा वादी द्वारा प्रतिवादिया को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास

किया गया परंतु प्रतिवादिया स्वंतत्र विचारों की महिला है और वह वादी को किसी बडे शहर में जाकर रहने का अक्सर दबाव बनाती थी चूंकि वादी मजदूर वर्ग का व्यक्ति है और वह प्रतिवादिया के द्वारा शहर में रहने का अपने स्तर से ज्यादा स्तर पर रहने के लिये प्रतिवादिया की उक्त मांग को पूरा नहीं कर सका। जिस कारण से प्रतिवादिया वादी से अक्सर लडाई झगडा करती रहती और बिना बताये अपने माता–पिता के पास पवई जिला पन्ना भाग जाती थी और कई बार लिवाने जाने पर वादी मुश्किल से वापिस आती थी इसके बावजूद भी वादी प्रतिवादिया की सभी बातों को सहन करते हुये अपने पति धर्म का निवर्हन करता रहा है।

5. दिनांक 15.07.2021 को प्रतिवादिया वादी के घर ग्राम मउसहानियां से जब वह काम पर गया था तब उसके घर में रखे 30,000/– रूपये नगद एवं डेढ लाख रूपये का सोने–चांदी का जेवर एवं कपडे आदि लेकर बिना बताये बच्चों को छोडकर घर से भाग गयी थी जब वादी शाम को घर वापिस आया तो उसने प्रतिवादिया की मां को फोन लगाया तो पता चला कि प्रतिवादिया अपनी मां के पास ग्राम पवई पहुंच गयी है एवं जब वादी उसे लेने के लिये पहुंचा तो वह वादी के साथ आने में हीला–हवाली कर रही थी परंतु वादी लगातार प्रतिवादिया को अपने साथ रखने के लिये एवं वापिस मउसहानियां आने के लिये मनाता रहा परंतु दिनांक 10.09.2022 को प्रतिवादिया ने वादी के साथ आने व उसके साथ रहने व उसके मध्य पति–पत्नि के संबंध न होने के संबंध में स्पष्ट इंकार कर दिया है एवं यह भी धमकी दी है कि वह कभी भी वादी के साथ पत्नि के रूप में नहीं रहेगी और वह किसी अन्य जगह जल्दी विवाह कर लेगी जबकि वैवाहिक निकाहनामा के अनुसार वादी तथा प्रतिवादिया के मध्य विवाह की संविदा हुयी थी जिसका पालन कराये जाने हेतु वादी न्यायालय से प्रार्थनारत है।

6. वाद का कारण दिनांक 15.07.2021 को प्रतिवादिया द्वारा बिना बताये व अपने बच्चों को छोडकर घर से भाग जाने एवं दिनांक 10.09.2022 को वादी के साथ रहने से स्पष्ट इंकार कर देने के कारण उत्पन्न हुआ है एवं वादी प्रतिवादिया निकाहनामा के अनुसार ग्राम मउसहानियां थाना व तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 के अंतर्गत निवास करते रहे है जिससे न्यायालय को वाद श्रवण करने की पूर्ण श्रेत्राधिकारिता प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन निकाहनामा में उल्लेखित राशि 5786/–रूपये मूल्याकिंत करते हुये संविदा के पालन हेतु निर्धारित न्याय शुल्क 500/– रूपये न्याय शुल्क चस्पा दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो समय–सीमा के अंतर्गत है। वादी तथा प्रतिवादिया के मध्य कोई भी दुरभिसंधि नहीं है अन्य कोई उपचार उपलब्ध न होने के कारण वादी को वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी है। वादी के पक्ष में प्रतिवादिया के विरूद्व इस आशय की वैवाहिक संविदा के पालन की आज्ञप्ति पारित की जाये कि प्रतिवादिया निकाहनामा के अनुसार वादी के साथ पत्नि के रूप में रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करे। वादी को प्रतिवादिया से वाद व्यय भी दिलाया जाये एवं अन्य अनुतोष जो भी न्यायालय वादी के पक्ष में उचित समझे वह भी प्रतिवादिया से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

7. प्रतिवादिया द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अपने जवाबदावे में लेख किया है कि प्रतिवादी का वादी के साथ शादी के बाद 12 वर्षों तक सही

निर्वाह होता रहा है तथा वादी के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी के पति के द्वारा हैरान व परेशान तथा मारपीट करने पर उतारू बना रहता है जिससे वह अत्याधिक हैरान व परेशान हो चुकी थी। शादी के बाद कभी भी प्रतिवादी के द्वारा कभी भी रूपयों पैसों की मांग नहीं की जब वह परेशान हो गयी तब वह अपने पति से पूछ कर अपने पिता के साथ मायके चली गयी थी और बच्चों को जबरन छुडा लिये थे। जब वह पिता के साथ मायके चली गयी उस समय नगद पैसा एवं जेवरात लेकर नहीं गयी थी, संपूर्ण ससुराल में ही छोड गयी थी। जबसे प्रतिवादी मायके गयी तब से पति के द्वारा कोई फोन नहीं किया न लिवाने आया न ही फोन पर बात करता है। प्रतिवादी के तीन बच्चे है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। मायके के पक्ष के लोग कभी भी जाने से मना नहीं करते है मात्र मारपीट करने एवं पति–पत्नि जैसा व्यवहार पति द्वारा न करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। पत्नि के द्वारा कभी भी पति के साथ न रहने की बात नहीं की। पति–पत्नि के बीच ताल–मेल न बैठने के कारण मन–मुटाव हुआ है जो इतना गंभीर नहीं है वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। अतः जवाब स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

8. उभयपक्षों के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर् न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए हैं, जिनके साक्ष्य विवेचना उपरांत प्राप्त निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित हैं एवं निष्कर्ष के आधार पश्चातवर्ती पदों में दिए जा रहे हैं :–

<u>विवाद्यक</u>	<u>निष्कर्ष</u>
1. क्या प्रतिवादी के द्वारा वादी की पत्नि होते हुये दाम्पत्य दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है?	'' **प्रमाणित**''
2. सहायता एवं व्यय?	निर्णय के पैरा क्रमॉक 16 के अनुसार

<u>निष्कर्ष एवं आधार</u>

<u>विवाद्यक क्रमांक 1</u>

9. फिरोज वा0सा0 1 ने अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि वह प्रतिवादी को जानता है, वह उसकी पत्नि है। उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 14 वर्ष पहले शबाना के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार हुयी थी और जिसमें निकाह के समय पांच हजार सात सौ छियासी रूपये मेहर की राशि निर्धारित की गयी थी, निकाहनामा पर उसने तथा शबाना बानो ने गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये थे। विवाह के बाद वह तथा शबाना पति–पत्नि की तरह मऊसहानिया में रहे व उन लोगों के संसर्ग से तीन संताने हुयी, बडे लडके का नाम साहिद मोहम्मद जिसकी उम्र 13 वर्ष, दूसरा लडका आरिफ मोहम्मद जिसकी उम्र 10 वर्ष एवं तीसरे लडके का नाम रासिद जिसकी उम्र 8 वर्ष है जो कि उसके साथ रहते है।

10. उक्त साक्षी ने अग्रेतर कथन किया है कि शादी के बाद से उसने कभी भी प्रतिवादिया को परेशान नहीं किया उससे कोई सामान की मांग नहीं की

उसे हमेशा प्रसन्न रखा। प्रतिवादिया शहर में रहने के लिये कहती थी चूंकि उसकी बहिन की शादी तीन साल पहले शहर में हुयी थी। वह मजदूर व्यक्ति है और मजदूरी करता है और मजदूरी करके शहर में नहीं रहा जा सकता है। प्रतिवादिया उससे झगडा करती रहती थी और उनके माता–पिता का फोन आता था तो वह अपने माता–पिता के साथ चली जाती थी, बडी मुश्किल में दो–तीन बार जाने पर वापिस आती थी। प्रतिवादिया लगभग दो वर्ष पहले चली गयी थी जब वह घर पर नहीं था। प्रतिवादिया अपने साथ तीस हजार रूपये नगद, डेढ लाख रूपये का सोने–चांदी, कपडे आदि लेकर चली गयी थी। उसने प्रतिवादिया के घर पर फोन लगाया था और उसकी मां ने फोन उठाया था और उसने बताया था कि वह अपने घर आ गयी है फिर वह प्रतिवादिया को तीन–चार बार लेने गया। फिर प्रतिवादिया ने उसके साथ रहने के लिये स्पष्ट मना कर दिया है जिसके कारण उसने यह दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

11. उक्त साक्षी ने प्रकरण में एक पंचनामा दिनांक 09.10.2022 का प्रस्तुत किया है जो प्रदर्शपी–1 है, निकाहनामा प्रदर्शपी–2 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर प्रतिवादिया शबाना के हस्ताक्षर है, सी से सी भाग उसके पिताजी लाल मोहम्मद, डी से डी भाग पर प्रतिवादिया के पिता नबी मोहम्मद के हस्ताक्षर है एवं ई से ई भाग, एफ से एफ, जी से जी, एच से एच भागों पर गवाहों के हस्ताक्षर है। उसका आधार कार्ड प्रदर्शपी–3 है, उसकी साली नाजो बानो एवं उसके साले रमजान का शादी कार्ड प्रस्तुत किया है जो प्रदर्शपी–4 है, उक्त शादी का कार्ड दिनांक 21.12.2022 का है उक्त कार्ड में इन लोगों ने बुरायी के कारण न उसका नाम एवं न उसके बच्चों का नाम लेख नहीं कराया है और न ही शादी का निमंत्रण दिया है। निकाह के शर्तों के विपरीत प्रतिवादिया उसके साथ नहीं रहती है।

12. प्रतिपरीक्षण के दौरान वादी फिरोज वा.सा. 1 ने बताया कि उसका निकाह दिनांक 11.12.2009 को हुआ था। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब तक उसके पिताजी जीवित रहे तब तक उसका व उसकी पत्नि का कोई विवाद नहीं हुआ था। स्वतः कहा कि उसका पहला लडका जिसकी उम्र 13 साल है उसके छह महीने होने पर उसके पिताजी खत्म हो गये थे। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पत्नि द्वारा पैसा व जेवरात लेने जाने की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं की थी। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके बच्चे उसके साथ ही रहते है। स्वतः कहा कि प्रतिवादिया का इतने साल तक फोन नहीं आया है। साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके बच्चे उसकी पत्नि के साथ रहते है। स्वतः कहा कि अभी भी उसके घर पर है। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है जब वह प्रतिवादिया को लेने गया था तब उसकी प्रतिवादिया से बातचीत हुयी थी। साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि प्रतिवादिया ने उससे कहा था कि अभी वह जाये, फिर दोबारा चलेगे एवं फिर दोबारा प्रतिवादिया को लेने नहीं गया इस कारण प्रतिवादिया अपने माता–पिता के साथ रह रही है।

13. उक्त साक्षी ने अग्रेतर बताया कि प्रदर्शपी–1 का पंचनामा उसने मोहल्ले में लेख कराया था, परंतु यह नहीं बता सकता है कि किसने लेख किया था। साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दावा प्रस्तुत करने के लिये झूठा दस्तावेज तैयार किया है एवं प्रदर्शपी–4 का शादी का कार्ड उसने फर्जी रूप से गलत छपवा दिया है, ससुराल में कोई कार्ड उसकी साली और साले का नहीं

छपा था। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपनी शादी का कार्ड प्रस्तुत नहीं किया है एवं अगर प्रतिवादिया उसके साथ रहना चाहती है तो वह अभी उसे रखने के लिये तैयार है।

14. वादी द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रतिवादिया बिना किसी पर्याप्त कारण के उससे अलग रह रही है और दाम्पत्य संबंधों की उपेक्षा करते हुये उसके माता पिता के यहां रह रही है। वादी द्वारा अखंडित रूप से कथन किया है कि शादी के बाद से उसने कभी प्रतिवादिया को परेशान नहीं किया है तथा उससे कभी सामान की मांग नहीं की है। प्रतिवादिया शहर में रहने के लिये कहती थी क्योंकि उसकी बहिन की शादी तीन साल पहले शहर में रहती थी। वह मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी करके शहर में नहीं रह सकता है। प्रतिवादिया उससे झगडा करती थी और उसके माता– पिता का फोन आता था तो वह उनके पास चली जाती थी और बडी मुश्किल से दो–तीन बार जाने पर वह वापिस आती थी। अतः वादी के उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिया और वादी के परिवार के बीच विवाद होकर झगडे होते थे और उक्त झगडे इसलिये होते थे कि वादी प्रतिवादिया की शहर में रहने की मांग को पूरा नहीं कर सका किन्तु प्रतिवादिया द्वारा वादी को छोडकर उसके माता पिता के यहां पवई जिला पन्ना जाने का कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है क्योंकि प्रकरण में प्रतिवादिया की ओर से खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वह वादी से उचित व पर्याप्त कारण से अलग अलग रह रही है। प्रतिवादिया द्वारा वादी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में यह सुझाव किया गया कि वादी प्रतिवादिया को लेने उसके घर गया था। इस सुझाव से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादिया को अपने साथ रहने के लिये प्रयास किया गया है। प्रतिवादिया द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि वादी उसे दोबारा लेने नहीं गया इसलिये वह नहीं आयी। उक्त सुझाव से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिया हठ के कारण वादी से पृथक रह रही है। वादी द्वारा प्रतिवादी के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि यदि प्रतिवादिया उसके साथ रहना चाहे तो वह रखने को तैयार है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिया बिना किसी कारण से वादी से अलग रह रही है जबकि वादी उसे अपने साथ रखने को तैयार है। वादी द्वारा उक्त तथ्य को स्वयं की साक्ष्य से भी प्रमाणित किया है और इस साक्षी को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है।

15. अतः उपरोक्त विवेचना एवं आई साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादिया बिना पर्याप्त व उचित कारण से उससे अलग रह रही है और प्रतिवादी का भी यह कर्तव्य है कि जहां पर वादी रहे वहां पर वह अपने बच्चों के साथ निवास करे इसलिये वादी दाम्पत्य संबंधों की पुनः स्थापना बाबत सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विचारणीय प्रश्न क्र.1 का निष्कर्ष प्रमाणित रूप में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–2 का निष्कर्ष व आधार

16. उपरोक्त विवेचना एवं साक्ष्य एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादी अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिक्री पारित की

जाती है–

1– प्रतिवादिया निकाहनामा दिनांक 11.12.2009 के अनुसार वादी के साथ पत्नि के रूप रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करे।

2– प्रतिवादिया स्वयं का एवं वादी का वाद व्यय वहन करेगी।

3– अधिवक्ता शुल्क व्यवहार आदेश एवं नियम के नियम–179, 523–528 की सूची अनुसार या प्रमाणित होने पर जो भी कम हो वाद व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञप्ति बनाई जाए।

खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, कर निर्णय घोषित किया गया।	मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
MANVENDRA SINGH YADAV Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV Date: 2023.09.30 18:12:32 +0530	MANVENDRA SINGH YADAV Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV Date: 2023.09.30 18:12:36 +0530
(मानवेन्द्र सिंह यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नौगांव जिला छतरपुर (म0प्र0)	**(मानवेन्द्र सिंह यादव)** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नौगांव, जिला छतरपुर (म0प्र0)